मि.स. २९-०१/२०२३-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार कृषि एवं. किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन आई.ए.एस.आर.आई. campus, प्सा नई दिल्ली-110012 दिनांक 🛛 दिसम्बर, 2023

सेवा में

Sh. Anil Kumar H.No.134, Opp. To Take n Go Bakery HUDA Complex, Kothapet, Hyderabad-500035 Email: sureshbhukua30192@gmail.com

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री अनिल कुमार, तेलंगाना से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/E/23/00025 दिनांक 27-11-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमे आर.टी.आई. अधिनियम,

2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निर्देशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

S.No	के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत ह :- मांगी गई सूचना	जवाब
1.	Did you have control on Kisan Call Centre FTA Selection as RFP, 2023? What is course of action against company for wrong selection or wrong method to suffer FTA?	The information sought by the applicant are in the form of questions. As per RTI Act, 2005, answers cannot be provided on questions like, What, When, Where, Why, If, Is, How, Did, Do etc. Only available information can be provided under RTI Act, 2005.
2.	Did all KCC locations have minimum requirements properly? What is the	
3.	Why sometimes calls had not connected to Kisan toll free number	
4.	As per RFP 2023 when we expect chatbot, social media and conference	
5.	If ministry find any wrong information about contract related documents?	
6.	Is all KCC locations have proper manpower and all requirement as per KFP	
7.	What is mechanism for resolving KCC related queries? Please provide proper communication details?	
8.	Is ministry visit all KCC locations for checking minimum requirements? Provide scheduled visits to KCC locations?	

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है । प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश क्मार मिश्र, निदेशक (विस्तार) विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न॰ 204, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012 दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

उप॰ निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाष :- 011-25846467

ई-मेल :- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि :-

- 1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याम विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
- 2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट <u>www.krishivistar.gov.in</u> पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।